अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.4-1/2025(हिं.टं./आ.प्रशि.)-हिं.अ. दिनांक: 27.11.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी. टंकण/आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त - पुरस्कार की राशि में वृद्धि करने संबंधी।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित संस्थान के नियमित आशुलिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों को राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार हिंदी टंकण/आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संस्थान द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: ₹ 5,000/-, ₹ 3,000/- एवं ₹ 2,000/- की राशि के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 01.07.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/25/2025-रा.भा. (प्रशि.) के अनुपालन में संस्थान में राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी टंकण/आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षा			
	क. हिंदी टंकण	**संस्थान में लागू वर्तमान पुरस्कार राशि**	**संशोधित पुरस्कार राशि**
1.	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 5,000/-	₹ 6,000/-
2.	95% या इससे अधिक परन्तु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 3,000/-	₹ 4,000/-
3.	90% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 2,000/-	₹ 2,000/-
	ख. हिंदी आशुलिपि	**संस्थान में लागू वर्तमान पुरस्कार राशि**	**संशोधित पुरस्कार राशि**
1.	95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 5,000/-	₹ 6,000/-
2.	92% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 3,000/-	₹ 4,000/-
3.	88% या इससे अधिक परन्तु 92% से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 2,000/-	₹ 2,000/-

जारी-2/-

अतः सभी केन्द्रों के प्रमुख तथा विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण से अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचना अपने-अपने सम्बद्ध विभाग/अनुभाग/केन्द्र में कार्यरत सभी नियमित आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों की जानकारी में लाने की कृपा करें।

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

27/x/16

(बी.एस. गिल)
मुख्य प्रशासन अधिकारी

<u>वितरण:</u>- सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

<u>प्रतिलिपि:</u>-

- निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य, (कम्प्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।